बिहार सरकार

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना

आर ब्लॉक रोड नं0–02, दारोगा प्रसाद राय पथ पटना– 800001

सूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम – 2019 का अध्याय 5, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 तथा उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियमन, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–349 दिनांक–22.01.2021 के आलोक में राज्य आयोग के लिए गठित मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिए मध्यस्थता पैनल गठित करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है।

2. पात्रता:–

i. माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश है।

ii. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत सदस्य है।

iii. सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत सदस्य।

iv. दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी

v. वकालत में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता

vi. भारत के उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्ध मध्यस्थ।

vii. मध्यस्थता / सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति।

viii. न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत अधिकारी।

<u>नोट:–</u>

I. आवेदन निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, आर ब्लॉक रोड नं0–02 दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना– 800001 के कार्यालय में सिर्फ निबंधित डाक के द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त या अपूर्ण आवेदन – पत्र पर विचार अथवा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

II. शैक्षणिक योग्यता / जन्म तिथि तथा अनुभव संबंधी प्रमाण – पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

III. निर्गत विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा विज्ञापन रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना को रहेगा।

IV. बनावटी तथा जाली प्रमाण – पत्र / अनुभव प्रमाण–पत्र पाए जाने पर आवेदक / आवेदिका की पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

V. मध्यस्थता से संबंधित शुल्क प्रत्येक वाद के तथ्यों के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियमन– 2020 के खण्ड –8 के अनुसार निर्धारित किया।

VI. इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक–1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते है।

VII. विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
बिहार, पटना

PR. No. 14374 (FOOD) 2021-22

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।